RAJYA SABHA

The House met at eleven of the Clock. The **Deputy Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Reconstitution of ITDC Board of Directors

*231. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) what is the approved sanctioned strength of official and non-official members on the Board of Directors of the ITDC;

(b) whether it is a fact that since November, 1987, the ITDC has been functioning with two or three official members on its Board and no effort has been made by Government to have the ITDC Board, at full strength;

(c) if the answer to (b) above be in the affirmative, what are the details thereof and the reasons for not having since November, 1987, the ITDC Board at full strength; and

(d) by when Government propose to reconstitute the ITDC Board?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (DEPARTMENT OF TOURISM) (SHRIMATI SUKHBANS KAUR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) According to the Articles of Association of ITDC, the Board of Directors will have not less than two and more than fifteen members on the Board.

(b) to (d) Since November, 1987 the Board of ITDC has been functioning with two or three official Directors. Efforts have been made in the past to reconstitute the Board, but no final decision could be taken. The matter is, however, under consideration of the Government but it is nol possible to indicate a time limit.

श्री चतुरानन मिश्र: उपसभापति महोदया, जबसे सरकार ने यह नीति परिवर्तन किया है कि पब्लिक सेक्टर को प्रधानता न देकर प्राइवेट सेक्टर को दे तभी से सारे गिद्ध लोग जुट गए हैं पब्लिक सेक्टर को नोच-नोच कर खाने के लिए। अखबारों में रोज इसकी खबर आ रही है। स्थिति इतनी चिंताजनक है क्योंकि विदेशियों के हाथों में काम सौंपा जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक अमरीकन कंपनी रेडिशन एंड होटल को यहां के मार्केटिंग का ठेका दे दिया एक लाख डालर पर। फिर आई.टी.डी.सी. की क्या संपत्ति है, कैसी है, इसके इवेल्यूशन के लिए विदेशी बैंक को ठेका दिया। अब जैसे अपने देश में कोई आदमी हो ही नहीं। यानि एकदम लूट मची हुई है और जो संपत्ति 3000 करोड़ रुपए की होगी, उसे शायद 700 करोड़ रुपए का आंका गया है ताकि इसको बेच-बेच कर खा जाओ। संयोग से वित्तमंत्री जी हैं, उनसे कहेंगे कि आपकी नीति का नतीजा यह हो रहा

उपसभापति : आप अपना सवाल कृपया फ्रेम कर लें।

श्री चतुरानन मिश्र: अब तुरन्त सवाल पर ही आता हूं। जरा यह कह दिया, आपका ध्यान आकर्षित कर दिया। जब इस तरह इसको बेच-बेच कर खाएंगे और तब बार-बार लोग मांग करेंगे और कहेंगे आप इस्तीफा दीजिए। मेरा प्रश्न यह है, सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि वर्ष 1987 के बाद से बोर्ड प्रोपर्ली कंस्टीट्यूट नहीं हुआ, दो या तीन आफिशियल डायरेक्टर हैं और वह भी गवर्नमेंट आफ इंडिया के सर्वेण्ट हैं, जो वहां भी काम करते हैं और यहां भी काम करते हैं। तो कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, कोई सी.एम.डी. नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, इन्होंने यह वर्ष 1987 से बताया है, जबकि एक्चुअली यह है कि 1985 में ही जो बोर्ड कंस्टीट्यूट हुआ उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। और, फिर यह कह रहे है, मैडम जरा इधर भी ध्यान दीजिए।

उपसभापति : जी। मंत्री जी ध्यान दें, वह ज्यादा जरूरी है। मैं तो सुन ही रही हूं।

श्री चतुरानन मिश्र : अरे, मंत्री जी ध्यान देते तब आपके पास आते ही क्यों ? जब वहां थक गए तभी आए हैं ।

उपसभापति : आप जरा क्वैश्चन कर दीजिए। मैंने ध्यान दे दिया ।

श्री चतुरानन मिश्र : क्वैश्चन मेरा यही है, यह कह रहे हैं :—

"The matter is, however, under consideration of the Government but it is not possible to indicate a time limit."

तो यह 1985 से 1992 तक के बाद भी टाइम लिमिट नहीं किया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता है तो मंत्री महोदय यह बता दें कि कौनसी ऐसी शक्तियां हैं जो सरकार को यह बोर्ड नहीं बनाने देती हैं ? क्या डिफिकल्टीज हैं ? क्यों ऐसा हो रहा है ? जबकि पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी ने भी रिपोर्ट दी है, बार-बार सवाल भी उठते हैं तो आप इसे क्यों नहीं कर पाते हैं ? हम लोगों को मालूम है कि अगर कमीशन-वमीशन ठीक करना है तो सफिसिएण्ट टाइम था। कमीशन ठीक करके भी किस किसको रख लें, यहां क्या बारगेनिंग हो रही है, पता नहीं चल रहा है । तो क्या कारण हैं ? यह मेरा पहला सवाल है ।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : मैडम, मैं सोचता हूं कि कुछ कारण दैवीय शक्ति है इसमें क्योंकि बड़ा जोखिम-भरा मामला है, पूरा रिस्कप्रोन है । जब कभी कोई प्रयोजल गया है (**व्यवधान**) मैं खतम कर लूं, मिश्र जी, तो जब कभी कोई प्रयोजल गया है, महीनों में प्रयोजल वापस आने के पूर्व ही मंत्री बदल गया । तो यही मामला चलता रहा है वर्ष 1987 से। तो यह एक बहुत ही जोखिम-भरा मामला है और इसमें बहुत ही संभल कर मामले को देख रहे हैं ।

उपसभापति : कोई मनौती है उसकी । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री माधवराव सिंधिया : पर, ऑनरेबिल मेम्बर को मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास होगा । यहां तक मिनिस्टरी का सवाल है, यह एक ए. सी. सी. अपायण्टमेंट होता है, उसके बाद जो ए.सी.सी. की प्रक्रिया शुरू होती है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नियंत्रण नहीं है । पर, हमारे यहां से जल्दी से जल्दी इसको निकालने का प्रयास करेंगे ।

श्री चतुरानन मिश्र : महोदया, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी, यह तो मंत्री महोदय ने कहा है कि देश की जनता ने इस बीच में चार प्रधान-मंत्री बना दिए, चार कैबिनेट बदल दिए, लेकिन आप बोर्ड आफ डायरेक्टर्स तय नहीं कर पाए। ऐसे ही लोग जब आ जाते हैं सरकार में, तब उनको बदलना तो बहुत जरूरी होता है, यह तो आप भी बूझ सकते हैं । इसीलिए हम जो प्रश्न आपसे करना चाहेंगे कोई इनबिल्ट सिस्टम आपकी सरकार बनाएगी ? क्योंकि सबको मालूम है कि कब कौनसी पोस्ट बोर्ड की खाली होगी, कब कौन मैनेजिंग डायरेक्टर हटेगा कोई टाइम लिमिट के बजाए हम चाहेंगे कि इनबिल्ट सिस्टम ऐसा कोई हो । तो क्या आपकी सरकार ने कभी इस पर विचार किया कि जब कभी पद खाली हो तो ऐसा इनबिल्ट सिस्टम रहे कि आटोमेटिक वहां लोग चले जाएं ? तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कोई इनबिल्ट सिस्टम आप बना सकते हैं और क्या मजदूर प्रतिनिधियों को भी उसमें लेंगे ?

श्री माधवराव सिंधिया : अगर कोई सिस्टम बनाना हो, कोई प्रणाली अगर बनानी हो, स्थापित करनी हो तो यह डिपार्टमेंट आफ परसोनल के अधिकार क्षेत्र में आता है । वह मापदंड देते हैं और उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं । अगर डिपार्टमेंट आफ परसोनल इस पर विचार करे तो निश्चित रूप से उनके मापदंड के अनुसार ही कार्य करेंगे, जो हम करने का प्रयास कर रहे है ।

उपसभापति : श्री सुकोमल सेन ।

श्री चतुरानन मिश्र : नहीं, नहीं, उपसभापति महोदया

उपसभापति : उन्होंने बोल दिया अभी। आपकी मर्जी का जवाब तो नहीं आएगा।

श्री चतुरानन मिश्र : हमने इनसे जवाब पूछा था, जवाब के बजाय इन्होंने कवेंशन कर दिया डिपार्टमेंट आफ परसोनल को। आपसे यही हमारा निवेदन है कि हमने तो उत्तर चाहा था और इन्होंने प्रश्न किए हैं तो डिपार्टमेंट आफ परसोनल को डायरेक्ट कीजिए कि वे लोग कुछ बोलें, यहां तो गृह मंत्री बैठे हुए हैं। आप उनको कहिए कि जब मंत्री महोदय ने, एक मंत्री ने उनसे प्रश्न कर दिया तो यह हाऊस क्या बिना जवाब के चला जाएगा ?

श्री माधवराव सिंधिया : मैं उन्हें एक सुझाव में भेज सकता हूं डिपार्टमेंट आफ परसोनल और डिपार्टमेंट आफ पब्लिक इन्टरप्राइसिस को।

श्री चतुरानन मिश्र : अब आपसे हम पूछेंगे ही नहीं। मामला परसोनल डिपार्टमेंट का है, उनसे आप जवाब दिलवा दीजिए, यही आपसे निवेदन है।

SHRI SUKOMAL SEN: Madam, I would like to know from the hon. Minister whether according to the articles of association of the ITDC there is a provision for a labour representative on the Board and, if so, whether that post is vacant or has been filled up.

But, Madam, the main problem is that the ITDC is in doldrums. There is a strong talk that it is going to be sold out to a private management. Actually this fear psychosis is there among the employees. I would like to know from the hon. Minister whether it is true that they are going to sell out the ITDC to a private management.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is not connected with that.

SHRI SUKOMAL SEN: It is connected with it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is about the Board.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Thi squestion pertains to the Board of the ITDC. There is no written provision for interface with labour or labour representation. But there is no bar also. It can be considered. At one particular time one of the earlier Ministers had also considered it. So, there is no bar on it. But there is no specific provision.

SHRI SUKOMAL SEN: About selling it out?

SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Madam, this is a very serious matter. Since 1987 the ITDC has been functioning with the help of only two officials while the full strength of the Board of Directors is 15. The hon. Minister has also shown his helplessness in constituting the Board of Directors. Madam, I understand that the post of Chairman and Managing Director, CMD, which is a very important position to run a corporation, is also lying vacant since 1990. I was told that a selection committee had been constituted. I would like to know from the hon. Minister what the reasons are for not filling up the vacancy of Chairman and Managing Director of the ITDC and how much time the selection board is going to take to fill up this particular vacancy. Is this post of Chairman and Managing Director in any way linked with the proposal to restructure the ITDC? Madam, there is a proposal mooted by the Government to restructure the ITDC in such a way as to introduce foreign companies to participate in some of the ventures of the ITDC. I would like to know from the hon. Minister what sort of restructuring plan has been mooted by the Central Government.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are two questions put into one.

SHRI AJIT P. K. JOGI: Three in one.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The first one is really directly connected with it, but the other one is not connected with it.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Madam, in the restructuring of the ITDC as such, the basic structure is going to remain the same. Maybe, in a particular division within the ITDC some changes are being thought about. But that does not come within the purview of this question.

As far as filling up the vacancy of the CMD, ITDC, is concerned, sometime in October-November the selection procedure was put into motion. The Ministry approached the Public Enterprises Selection Board to send a panel of recommended names from which the CMD, ITDC, could be chosen. So, the process has really been set in motion by the Ministry in October—November, 1991. Just a few days ago, just three or four days ago, the ACC has sent our proposals back to us, rejecting the proposals and asking us to start the whole process **de novo.** So really, as I said in answer to the earlier question of Mr. Mishraji also, it is up to us to get the process going. After that it is not really under our control as to how long the ACC or the Public Enterprises Selection Board takes.

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : उपसभापति महोदया, माननीय मंत्री जी के जवाब से जो मिश्रा जी के सवाल के भाग-ख पर है, उससे स्पष्ट था कि सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों की अनुमोदित संख्या . . . **(व्यवधान)** . .

उपसभापति : आप अपना सवाल करिए।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : हां, उसी से संबंधित सवाल यह है कि जो जवाब दिया है कि दो से कम और 15 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों में क्या अनुपात रखा गया है या कोई निर्धारित किया गया है कि उसमें कितने गैर सरकारी होंगे और कितने सरकारी सदस्य बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में होंगे। क्योंकि यह बेलेंस आफ पेमेंट निर्धारण की एक बाडी है और बिना इसको सही रूप में गठित किए हुए पर्यटन विभाग का रास्ता सही नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

THE DEPUTY CHAIRMAN: The composition of the two, private and Government.

SHRIMATI SUKHBANS KAUR: The Department of Public Enterprises has issued fresh guidelines, according to which they have to have functional directors as full-time operational directors, Government directors and non-official directors. The strength of the functional directors should not exceed 50 per cent of the actual strength of the Board. The Government directors should not exceed one-sixth of the actual strength of the Board and non-official directors should not exceed one-third of the actual strength of the Board.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Madam, I would just like to add that these are guidelines. It is not mandatory.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Q. No. 282.

Balance of Payment Position

*282. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI:†
SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the details of the balance of payments position at the end of May 1992, together with the corresponding figures last year; and

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Sunder Singh Bhandari.